**महत्वपूर्ण / तीसरा अनुस्मारक पत्र**

पत्र संख्या–आई0एम0सी0 / (2019–20) 261 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(इन्वेस्टीगेशन मानीटरिंग सेल)
लखनऊः:दिनांकः25 जुलाई, 2019

एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–1, वाणिज्य कर,
**अलीगढ़, अयोध्या, इटावा, गौतमबुद्धनगर, झाँसी, कानपुर–प्रथम एवं लखनऊ–प्रथम जोन।**

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या –145 दिनांक 31.05.2019 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा एडीशनल डायरेक्टर जनरल, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (CEIB) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–EI/46-01/GEI/Fake Invoices/2018-CEIB(Part-II) दिनांक 14.05.2019 से वांछित बोगस इनवाइस जारी करने वाली फर्मों के सम्बन्ध में फर्म के जी0एस0टी0आई0एन0, पैन नं0, व बैंक खातों की सूचना मांगी गयी थी । प्रकरण में आपको प्रथम अनुस्मारक पत्र सं0–170 दिनांक 13.06.2019 एवं द्वितीय अनुस्मारक पत्र सं0–208 दिनांक 08.07.2019 जारी किये जाने के बावजूद वांछित सूचना प्रेषित न किया जाना मुख्यालय के निर्देशों को गम्भीरता से न लिये जाने का परिचायक है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या–145 दिनांक 31.05.2019 से वांछित सूचना मुख्यालय को प्रेषित करते हुये, उसकी साफ्ट कॉपी (Excel sheet में) E-mail address-"Pradeep.2321963@gov.in" पर भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि सूचना सम्बन्धित को प्रेषित की जा सके:–

| FIRM NAME | GSTIN | PAN | JURISDICTION | LEGAL NAME | BANK ACCOUNT NO. BANK & BRANCH NAME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।